(2)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पिड़ावा जिला झालावाड़ (राज)
पीठासीन अधिकारी:–दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 04/2025 दायर दिनांक: 03.01.2025

उनवान

1. राधेश्याम पि. नाथुलाल जाति माली नि. पिड़ावा तहसील पिड़ावा

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार तहसील पिड़ावा

अप्रार्थी

दावा अन्तर्गत धारा 131, 136 एल.आर.एक्ट

उपस्थिति :–
प्रार्थी :– विद्वान अभिभाषक श्री कालूराम मेघवाल
अप्रार्थी :– पेरोकार सरकार श्री महावीरसिंह

निर्णय दिनाक : 19.05.2025

पत्रावली पेश हुई। उभय पक्षकारान उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि प्रार्थी राधेश्याम पिता नाथुलाल जाति माली निवासी पिड़ावा तहसील पिड़ावा जिला झालावाड़ राज, का निवासी उसके खाते कब्जे की आराजी ग्राम पीपलिया पटवार हल्का पूर्व दांता वर्तमान ढाबलाभोज तहसील पिड़ावा में खाता संख्या का खसरा नं. 743/922 रकबा 4 बीघा आराजी स्थित है। प्रार्थी का खसरा नं. 743/922 रकबा 4 बीघा सम्वत 2042 से 2061 तक की जमाबंदियों में सही खसरा नम्बर दर्ज था और जिसमें प्रार्थी गैरखातेदारी की हेसियत से चला आ रहा था। नकल जम्माबंदी सम्वत 2042–2061 तक प्रमाणित प्रतिलिपी प्रार्थना पत्र के साथ पेश है। यह कि प्रार्थी को सं. 2062–65 की जमाबंदी खाता सं. नया 1 पुराना 2 में गैर खातेदारी से खातेदारी अधिकार दर्ज करते समय नामा.सं. 566 दिनांक 11.12.2010 को प्रार्थी के ख.नं. 743/922 की जगह राजस्व रिकार्ड में सहवन से 928/743 गलत दर्ज कर दिया गया है जबकि प्रार्थी का सही ख.नं. 743/922 है। प्रार्थी अब खसरा नं. 928/743 जो [illegible] जमाबन्दी में गलत दर्ज हो रहा है उसे सही दर्ज एवं दुरुस्त [illegible] में खसरा नं. 928/743 की जगह 743/922 दर्ज व दुरुस्त करना आवश्यक है जो प्रार्थी का सही खसरा नम्बर है। नकल जमाबंदी [illegible] 2062–2065

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.06.02 18:25:04 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज•)

Scanned with OKEN Scanner

प्रमाणित प्रति ग्राम पीपलिया तहसील पिड़ावा की पेश है व वर्तमान जमाबंदी सम्वत 2074–2077 भी पेश है। यह कि प्रार्थना पत्र उचित न्यायशुल्क पर अवधि मध्य व माननीय न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में प्रस्तुत है। यह कि तहसीलदार पिड़ावा को राजस्व रिकार्ड व नक्शा ट्रेस ग्राम पीपलिया तह० पिड़ावा में गलत खसरा नं. 928/743 दर्ज किया है उसकी जगह 743/922 दर्जदुरुस्त करने के लिए प्रार्थना पत्र में पक्षकार बनाया गया है। अतः प्रार्थना पत्र धारा 131, 136 एल०आर०एक्ट का पेशकर प्रार्थी निवेदन करता है कि प्रार्थी को ग्राम पीपलिया पटवार हल्का ढाबलाभोज तह० पिड़ावा के खाता संख्या नया 210 पुराना 198 में खसरा नं. 928/743 जो गलत दर्ज हो रहा है उसकी जगह खसरा नं. 743/922 रकबा 4 बीघा (1. 0117 है0) में सही खसरा नम्बर दर्ज दुरुस्त करने के आदेश फरमाये जावे तथा आदेश श्रीमान तहसीलदार पिड़ावा पटवार हल्का ढाबलाभोज भू०अभि०नि० ढाबलाभोज के नाम जारी किया जावे तथा अन्य न्यायोचित सहायता जो प्रार्थी को माननीय न्यायालय उचित समझे दिलायी जावे।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया तथा अप्रार्थी की तलबी जर्ये सम्मन की गई। अप्रार्थी पैराकार सरकार द्वारा उपस्थित होकर पत्रांक 186 दिनांक 17.02.2025 से जवाब पेश कर निवेदन किया कि बिन्दू स० 1 में दर्ज विवरण रिकार्ड अनुसार सही है। बिन्दु स० 2 में दर्ज विवरण वर्तमान जमाबन्दी में राधेश्याम पुत्र नाथूलाल जाति माली निवासी पिडावा ग्राम पिपलिया के आराजी ख० न० 928/743 गलत दर्ज है क्योकि की संम्वत 2062 से 2065 में जमाबन्दी दर्ज करते समय गलत हुआ। यह कि प्रार्थना पत्र के चरण कमांक 3 माननीय न्यायालय क्षेत्राधिकार से सम्बंधत है। यह कि प्रार्थना पत्र के चरण कमांक 4 में वर्णित तथ्य अनुसार राजस्व रिकार्ड व नक्शा ग्राम पीपलिया आराजी सम्वत 2046 से 2061 राजस्व रिकार्ड में राधेश्याम पुत्र नाथूलाल कोम माली निवासी पिडावा के ग्राम पिपलिया के आराजी ख0न० 743/922 रकबा 4 बीघा दर्ज था लेकिन नवीन जमाबन्दी बनाई गई संम्वत 2062 से तब ख० [illegible] 743/922 की जगह 928/743 दर्ज हो गया है जो की गलत है। दिनांक 11.12.2010 [illegible] प्रमाण [illegible] 566 की गैर खातेदारी से खातेदारी दर्ज की गई उसमें भी जमा[illegible] के आधार पर 928/743 दर्ज हो गया है। जो गलत है। राजस्व [illegible] व नक्शा ग्राम

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.06.02 18:25:04 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

पीपलिया आराजी सम्वत 2046 से 2061 राजस्व रिकार्ड में राधेश्याम पुत्र नाथूलाल कोम माली निवासी पिडावा के गाम पिपलिया के आराजी ख०न० 743/922 रकबा 4 बीघा दर्ज था लेकिन नवीन जमाबन्दी बनाई गई संम्वत 2062 से तब ख०न० 743/922 की जगह 928/743 दर्ज हो गया जो की गलत है। दिनांक 11.12.2010 में नामा०स० 566 की गैर खातेदारी से खातेदारी दर्ज की गई उसमें भी जमाबन्दी के आधार पर 928/743 दर्ज हो गया है। जो गलत है। उक्त प्रकरण में ख० न० 743/922 की जाना उचित होगा।

3. अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के समर्थन में ग्राम पीपलिया का खाता सं. 181 की जमाबंदी सं. 2042–45, खाता सं. 191 जमाबंदी सं. 2046–49, खाता सं. 197 जमाबंदी सं. 2050–53, खाता सं. 210 जमाबंदी सं. 2054–57, खाता सं. 224 जमाबंदी सं. 2058–61, ग्राम पीपलिया का नामा.सं. 566 दिनांक 11.12.2010, खाता सं. 248 जमाबंदी सं. 2062–65, खाता सं. 210 जमाबंदी सं. 2074–77, खसरा नक्शा दिनांक 27.12.2024 की नकले व राधेश्याम कें आधारकार्ड की छायाप्रति पेश की।

4. पेरोकार सरकार द्वारा अपने जवाब के साथ पटवारी हल्का की रिपोर्ट दिनांक 10.02.2025, ग्राम पीपलिया का खाता सं. 181 की जमाबंदी सं. 2042–45, खाता सं. 197 जमाबंदी सं. 2050–53, खाता सं. 210 जमाबंदी सं. 2054–57, खाता सं. 224 जमाबंदी सं. 2058–61, ग्राम पीपलिया का नामा.सं. 566 दिनांक 11.12.2010, खाता सं. 248 जमाबंदी सं. 2062–65, खाता सं. 210 जमाबंदी सं. 2074–77, खसरा नक्शा दिनांक 27.12.2024 की नकले पेश किया।

5. अभिभाषक प्रार्थी व पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। अभिभाषक प्रार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम पीपलिया पटवार हल्का दांता की जमाबंदी सं. 2042–45 व 2046–49 के अनुसार [illegible] 4–00 बीघा भूमि आवंटन होकर इन्तकाल सं. 193 से गैर खातेदारी दर्ज हुई थी और तभी से प्रार्थी वादग्रस्त आराजी पर कब्जा काश्त [illegible] आ रहा है। जमाबंदी सं. 2050–53, 2054–57 व 2058–61 में प्रार्थी [illegible] आराजी का ख.

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.06.02 18:25:04 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

नं. 743/922 रकबा 4-00 बीघा दर्ज रिकार्ड है लेकिन तहसीलदार पिडावा द्वारा प्रशासन गांव के संग अभियान 2010 में प्रार्थी की गैरखातेदारी को खातेदारी दर्ज करते हुए नामा.सं. 566 दिनांक 11.12.2010 निर्णित किया गया था। नामा.सं. 566 दर्ज करते समय त्रुटीवश राजस्व कार्मिको ने प्रार्थी की आराजी का ख.नं. 743/922 की जगह 928/743 दर्ज कर दिया गया। उक्त नामान्तरण का जमाबंदी सं. 2062-65 में अमल दरामद करते समय भी ख.नं. 743/922 की जगह त्रुटीवश 928/743 दर्ज कर दिया गया जबकि प्रार्थी का नाम व रकबा सही दर्ज किया गया। वर्तमान राजस्व रिकार्ड में भी प्रार्थी की भूमि का ख.नं. गलत रूप से 928/743 दर्ज है जिसे दुरूस्त किया जाकर मूल ख.नं. 743/922 अंकित किया जावे। अभिभाषक प्रार्थी द्वारा आगे तर्क किया गया कि मौके पर प्रार्थी वक्त आवंटन से उसी जगह पर कब्जा काश्त चला आ रहा है। ग्राम पीपलिया के वर्तमान राजस्व रिकार्ड में किसी भी खसरा का नम्बर, 743/922 दर्ज नहीं है अर्थात 743/922 वर्तमान में अस्तित्व में नहीं है। पेरोकार सरकार ने भी खातेदारी का नामान्तरण दर्ज करते समय खसरा नं. में हुई गलती को स्वीकार कर दुरूस्त करने की अनुशंसा की है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

6. पैरोकार सरकार द्वारा उपस्थित होकर अपनी बहस में जवाब के बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया है कि ग्राम पीपलिया की वादग्रस्त आराजी जमाबंदी सम्वत 2046 से 2061 में प्रार्थी राधेश्याम पुत्र नाथूलाल कोम माली निवासी पिडावा के खाते की आराजी का ख०न० 743/922 रकबा 4 बीघा दर्ज था लेकिन गैरखातेदारी से खातेदारी का नामा.सं. 566 दिनांक 11.12.2010 दर्ज करते समय प्रार्थी का ख.नं. 743/922 की जगह 928/743 दर्ज हो गया और नवीन जमाबन्दी संम्वत 2062 से 2065 बनाते समय भी ख०न० 743/922 की जगह 928/743 दर्ज हो गया है जो की गलत है। राजस्व रिकार्ड व नक्शा ग्राम पीपलिया आराजी सम्वत 2046 से 2061 राजस्व रिकार्ड में राधेश्याम पुत्र नाथूलाल कोम माली निवासी पिडावा के गाम पिपलिया के आराजी ख०न० 743/922 ... बीघा दर्ज था लेकिन नवीन जमाबन्दी बनाई गई ... 743/922 की जगह 928/743 दर्ज हो गया ... 2010 में नामा०स० 566 की गैर खातेदारी से खातेदारी दर्ज की गई उसमें भी

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.06.02 18:25:04 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिडावा जिला झालावाड़ (राज०)

(6)

जमाबन्दी के आधार पर 928/743 दर्ज हो गया है। जो गलत है। उक्त प्रकरण में ख० न0 743/922 की जाना उचित होगा।

7. अभिभाषक प्रार्थी व पैरोकार सरकार की बहस के प्रकाश में पत्रावली का अवलोकन किया गया। ग्राम पीपलिया पटवार हल्का दांता की जमाबंदी सं. 2042–45 व 2046–49 के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी को ख.नं. 743/922 रकबा 4–00 बीघा भूमि आवंटन होकर इन्तकाल सं. 193 से गैर खातेदारी दर्ज हुई थी। जमाबंदी सं. 2050–53, 2054–57 व 2058–61 में प्रार्थी की आराजी का ख.नं. 743/922 रकबा 4–00 बीघा दर्ज रिकार्ड है। अतः साबित है कि प्रार्थी को आवंटित भूमि का ख.नं. 743/922 रकबा 4–00 बीघा था। प्रार्थी द्वारा पेश ग्राम पीपलिया तहसील पिडावा के नामा.सं. 566 दिनांक 11.12.2010 की नामान्तरण पंजिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रशासन गांव के संग अभियान 2010 के दौरान तहसीलदार पिडावा द्वारा प्रार्थी की गैरखातेदारी को खातेदारी में दर्ज करते हुए नामा.सं. 566 दिनांक 11.12.2010 निर्णित किया गया था। नामा.सं. 566 दर्ज करते समय पटवारी व भू.अभिलेख निरीक्षक द्वारा नामान्तरण पंजिका के मद कम 3, 10 व 16 में ख.नं. 928/743 रकबा 4–00 बीघा अंकित कर दिया गया। अतः प्रार्थी की आराजी के ख.नं.' के अंकन में नामान्तरण दर्ज करते समय लिपीकीय/टाईपिग त्रुटी हुई है जिसे पेराकार सरकार तहसीलदार पिडावा द्वारा स्वीकार भी किया है और दुरूस्त करने की अनुशंषा भी की है। प्रार्थी द्वारा पेश वादग्रस्त आराजी की जमाबंदी सं. 2062–65 के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त नामान्तरण सं. 566 का जमाबंदी सं. 2062–65 में अमल दरामद करते समय भी ख.नं. 743/922 की जगह त्रुटीवश 928/743 दर्ज कर दिया गया जबकि प्रार्थी का नाम व रकबा सही दर्ज किया गया। अतः स्पष्ट है कि प्रार्थी के खाते की आराजी का ख.नं. राजस्व कार्मिको द्वारा नामा.सं. 566 दर्ज करते समय लिपीकीय/टाईपिग त्रुटीवश ख.नं. 743/922 की जगह ख.नं. 928/743 दर्ज हो गया जबकि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में ग्राम पीपलिया में 743/922 नम्बर का कोई खसरा अस्तित्व में नहीं है।

8. राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 व 136 के अनुसार भू–सर्वे एवं रिकार्ड ऑपरेशन की कार्यवाही समाप्त होने के बाद

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.06.02 18:25:04 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

नक्शे एवं फिल्ड बुक में किसी गांव या गांव के हिस्से की सीमाओं, ऐस्टेट या फिल्ड/खसरे की सीमाओं में ज्ञात होने वाली किसी त्रुटि को या राजस्व रिकार्ड के निरीक्षण के दौरान ज्ञात किसी भी प्रकार की त्रुटि को लेण्ड रिकार्ड ऑफिसर द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के तहत दुरूस्त किया जाता सकता है और ऐसे प्रत्येक परिवर्तन का इन्द्राज वार्षिक रजिस्टर में किया जावेगा। राजस्व रिकार्ड में भू प्रबन्धन एवं सर्वे की कार्यवाही के दौरान, सेग्रीगेशन के दौरान, नामा0 तस्दीक करते समय, फर्द–बदर/चौसाला तैयार करते समय राजस्व कार्मिकों द्वारा मूल प्रविष्टि में की गई लिपिकीय त्रुटि या रेकार्ड के निरीक्षण के दौरान भू अभिलेख अधिकारी को ज्ञात त्रुटि को धारा 136 एलआरएक्ट के अधीन भू अभिलेख अधिकारी द्वारा दुरूस्त किया जा सकता है। हस्तगत प्रकरण में ग्राम पीपलिया के नामा.सं. 566 दिनांक 11.12.2010 दर्ज करते समय लिपीकीय/टाईपिग त्रुटीवश खसरा नम्बर 743/922 की जगह 928/743 दर्ज हो गया था जिसे दुरूस्त करने के लिए उभयपक्षकार सहमत है। अतः धारा 136 एलआरएक्ट के अधीन मूल प्रविष्टि में हुई खसरा नं. के अंकन की त्रुटी को दुरूस्त किया जाना न्यायोचित है। धारा 136 एलआरएक्ट के प्रावधान निम्नानुसार है :–

<u>136. Correction of errors</u> – The land Records Officer may, at any time, correct or cause to be corrected in the prescribed manner any clerical errors and any errors which the parties interested admit to have been made in the record of rights or register, or which a Revenue Officer may notice during the course of his inspection in any Register: Provided that when any error is noticed by a Revenue Officer in any record of rights during the course of his inspection, no error shall be corrected unless a notice to show cause has been given to the parties.

9. उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण के आधार पर [illegible]लिया तहसील पिडावा के खसरा नम्बर 928/743 [illegible] दुरूस्त कर 7[illegible]922 करने के संबंध में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अ[illegible] एल.आर.एक्ट

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.06.02 18:25:04 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज॰)

Scanned with OKEN Scanner

तहसीलदार पिडावा की जांच रिपोर्ट 186 दिनांक 17.02.2025 एवं संलग्न पटवारी रिपोर्ट के आधार पर न्यायहित में स्वीकार किये जाने योग्य है।

—::क्रियात्मक आदेश::—

उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131 व 136 एल.आर.एक्ट बावत इन्द्राज दुरुस्ती न्यायहित में स्वीकार किया जाता है। ग्राम पीपलिया के हाल खसरा नम्बर 928/743 रकबा 4–00 बीघा के अंकन में हुई लिपीकीय/टाईपिंग त्रुटी को दुरुस्त कर ख.नं. 743/922 रकबा 4–00 बीघा किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार पिडावा उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड नक्शा में दुरुस्ती करे।

यह निर्णय आज दिनांक 19.05.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

19/5/25

(दिनेश कुमार मीणा, आरएएस)
उपखण्ड अधिकारी पिडावा
जिला झालावाड राज0

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज.)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.06.02 18:25:04 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner